मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2005 (श्रावण 7, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा(3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2001-2002 (वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2002 के लिये) ;तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सत्यदेव कटारे, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के उमरी कस्बे में डकैतों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामनिवास रावत, बंशीलाल जाटव, सदस्य, शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी बंद कर कृषकों को भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री मनोहर लाल राठौर, राजेश पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, प्रदेश में पी.एम.टी. की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में अनियमितता होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री राजनारायण सिंह पुरनी, आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य, इंदौर में आयोजित बंद के दौरान घटित घटनाओं के अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघव जी, वित्त मंत्री, वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 10 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

शेष 1 घन्टा

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

30 मि. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा......(क्रमशः).

7. अशासकीय विधि विषयक कार्य

05 मि. श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. शिवराज शाह "शिवाभैया" तथा श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में शासकीय सेवा के लिये मूल निवासी होने की शर्त समाप्त न की जाये.".

(2) सर्वश्री रामनिवास रावत, बृजेन्द्र तिवारी, दुर्गालाल विजय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ग्वालियर-श्योपुर नैरो गेज रेल लाईन को ब्राड गेज रेल लाईन में परिवर्तित करते हुए कोटा (राजस्थान) तक रेलवे लाईन बढ़ाई जाये.".

(3) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. " सदन का यह मत है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन अन्य निगमों/मंडलों/ शैक्षणिक संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय की भांति ही सदन के पटल पर रखा जाये.".

(4) सर्वश्री निशिथ पटेल, शरद जैन (एडवोकेट), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से मुंबई तक वायु सेवा व्हाया नागपुर-मुंबई तथा वापसी जबलपुर प्रारंभ की जावे.".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 28 जुलाई, 2005